न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस
राजस्व विविध संख्या – 06/2020
निर्णय दिनांक – 16.03.2021

प्रार्थी :–

धनसिंह पुत्र खीमसिंहजी आयु –85 वर्ष, जाति–राजपूत, निवासी–माडपुर तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)

–: बनाम :–

अप्रार्थीगणः–

1.पर्वतसिंह पुत्र वनेसिंह, आयु– 30 वर्ष
2.बहादुरसिंह पुत्र वनेसिंह, आयु– 28 वर्ष
3.भंवर कंवर पत्नी वनेसिंहजी, आयु–65 वर्ष
4.सुमेरसिंह पुत्र वनेसिंहजी, आयु– 35 वर्ष
तमाम् जातिगण–राजपूत, निवासीगण – माडपुर, तहसील–देसूरी, जिला पाली, (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि.
(वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

– प्रार्थी की ओर से – वकील हुकमसिंह सोलंकी
–अप्रार्थीगण की ओर से – दिलीप कुमार व्यास

–: निर्णय :– **दिनांक :– 16.03.2021**

प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गांव– माडपुर, पटवार क्षेत्र–माडपुर, तहसील–देसूरी, जिला पाली (राज.) में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा एवं काश्त सुदा कृषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 490 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर 491 रकबा 0.2700 हैक्टर किस्म गैर मु. सडा, खसरा नम्बर 492 रकबा 3.0700 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.7000 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम कुल खसरा–4 कुल रकबा 4.0500 हैक्टर लगान रूपये 52.30 वि[illegible] जिसमें प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी का कब्जा एवं काश्त सुदा 1/2, [illegible] का 1/8 वां

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:24 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर –2 लगातार......

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/8 वां व अप्रार्थी संख्या 3 का 1/8 वां हिस्सा वअप्रार्थी संख्या 4 का 1/8 वां हिस्सा संयुक्त खोतदारी का कब्जा काश्त सुदा विद्यमान हैं। यह है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 4 की संयुक्त खातेदारी की है जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 4 के मध्य कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा नही हुआ है। मौके पर प्रार्थी का माफिक खातेदारी के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु चुंकि कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किया हुआ नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 4 उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं विशेष भू–भाग की जमीन पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है एवं टण्टा फसाद करते है एवं जमीन को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी की आराजीयात में उनकी काश्त मे नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा रहते है

यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद के निर्णय मे लम्बा समय लगेगा जबकि अप्रार्थीगण मौके पर प्रार्थी के बंट की आराजीयात में नाजायाज दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवं अप्रार्थीगण उनके खातेदारी के बंट से अधिक जमीन पर अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं विशेष भू–भाग की जमीन पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है व जमीन को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है एवं अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है एवं प्रार्थी के बंट की आराजीयात मे नाजायाज दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को उनकी बंट की भूमि मे काश्त महरूम रखने में आमादा है एवं ऐलानिया धमकिया दे रहे है। अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है । अप्रार्थीगण के इस अवैध कृत्य से प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी एवं प्रार्थी के विधिक हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं अनावश्यक वाद विवाद बढेगा एवं अप्रार्थीगण मौके पर टण्टा फसाद करेंगे एवं प्रार्थी के बंट की भूमि पर अतिक्रमण करने व विशेष भाग की जमीन पर निर्माण कार्य से एवं प्रार्थी के बंट की आराजीयात में प्रार्थी के कब्जा काश्त दखलन्दाजी करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है जिससे अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने का प्रश्न नही है न ही कोई क्षति होगी इसके विपरीत यदि अप्रार्थीगण बलपूर्वक प्रार्थी के बंट की भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त मे दखलन्दाजी करेंगे एवं जबरदस्ती बल पूर्वक जमीन को खुर्द–बुर्द करेंगे जिससे मौके पर लड़ाई झगडा व खुन खराबा होने की सम्भावना रहेगी एवं विशेष भू–भाग की जमीन पर निर्माण कार्य कर देगें जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं प्रार्थी के हक अधिकारों पर भारी कुठारागात होगा एवं प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा एवं प्रार्थी के मूल वाद का मकसद भी समाप्त हो जायेगा। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में जारी की जाना नितान्त आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:24 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर –3 पर लगातार......

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ– पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा सरहद गांव–माडपुर, पटवार क्षैत्र–माडपुर, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, (राज.) में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा एवं काश्त सुदा कृषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 490 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर 491 रकबा 0.2700 हैक्टर किस्म गैर मु. सडा, खसरा नम्बर 492 रकबा 3.0700 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.7000 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम कुल खसरा–4 कुल रकबा 4.0500 हैक्टर लगान रूपये 52.30 की आराजी में प्रार्थी का कब्जा एवं काश्त सुदा खातेदारी का 1/2 हिस्से की आराजीयात में प्रार्थी के खातेदारी के बंट व हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावें व जमीन को खुर्द–बुर्द नही करें एवं विशेष भू–भाग की जमीन पर निर्माण कार्य नही करें एवं दखलन्दाजी, हस्तक्षेप नही करें एवं जमीन का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड से बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक विशेष भू–भाग की जमीन पर निर्माण कार्य नही करे व अपनी हिस्से से अधिक जमीन पर निर्माण नही करें एवं मूल वाद के निर्णय तक मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील दिलीप कुमार व्यास ने वकालत नामा पेश किया। तथा अप्राथीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 490, 491, 492, 493 कुल खसरे 4 कुल क्षेत्रफल 4.0500 हैक्टर एक चक होकर कृषि भूमि है एवम् राजस्व रिकोर्ड में खसरा नम्बर 490 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मु. बेरा, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.2700 हैक्टर किस्म गैर मु. सडा अवश्य दर्ज है किन्तु बेरा काफी समय पूर्व बूरा हुआ है व मौके पर बेरा व सडा का अस्तित्व नही है, जिस पर कृषि काश्त होती है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवम् अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का कुल मिला कर 1/2 हिस्सा खातेदारी आधिपत्य का विधमान है, जो सही है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य माफिक खातेदारी हिस्सों अनुसार मौके पर पूर्व में आपसी सहमति एवं रजामंदी से सह खातेदारों पक्षकारान के मध्य बंटवाडा किया हुआ है, जिस अनुरूप वादग्रस्त आराजी के उत्तर दिशा तरफ का आधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:24 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर –4 पर लगातार......

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

हिस्सा की कृषि भूमि कुल रकबा 2.0250 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी के बंट में एवम् दक्षिण दिशा तरफ की खसरा नम्बर 492 व 493 की शेष भूमि एवम् खसरा नम्बर 490 व 491 की पूरी भूमि कुल रकबा 2.0250 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के बंट में आयी हुई मौके पर पृथक पृथक कब्जा काश्त सुदा चली आ रही है, जो प्रार्थी स्वयं मानता है किन्तु रिकार्डली बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा अवश्य नही हुआ है, जिस हेतू उपरोक्तानुसार पूर्व में मौके पर भौतिक रूप से हुए बंटवाडा अनुसार रिकार्डली बंटवाडा किये जाने में अप्रार्थीगण द्वारा कभी मना नही किया एवं आज भी तैयार व तत्पर है अतः वादग्रस्त आराजी का पूर्व मे उपर वर्णित अनुसार हुए बंटवाडा अनुसार मौके पर पृथक पृथक कब्जा काश्त अनुसार रिकार्डली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण में मध्य किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण पूर्व मे हुए बंटवाडा अनुसार अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर एवं प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर पृथक पृथक रूप से काश्त करते आ रहे है, जिसमे किसी का कोई दखल हस्तक्षेप नही है। एवं मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा अपने बंट की भूमि मे लाखो रूपये लगाकर इसे समतल, उपजाउ बना कर विकसित किया है। अप्रार्थीगण किसी प्रकार से अपने खातेदारी हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा नही है एवं न ही किसी विशेष भू–भाग की जमीन पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है एवं न ही प्रार्थी के खातेदारी हिस्से की भूमि मे उनके काश्त में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी करने पर आमादा है। तमाम तथ्य प्रार्थी द्वारा कत्तई गलत, मिथ्या एवं मनगढंत एवं निराधार अंकित किये है। उपर वर्णित अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में हुए बंटवाडा अनुसार एवं मौके पर पृथक पृथक कब्जा काश्त अनुसार रिकार्डली बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कराये जाने मे अप्रार्थीगण को आपत्ति नही है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य माफिक खातेदारी हिस्सो अनुसार मौके पर पूर्व में आपसी सहमति एवं रजामंदी से सह खातेदारों पक्षकारान के मध्य बंटवाडा पैरा–3 जबाव में विस्तृत रूप से बतलाये अनुसार किया हुआ है, जिस अनुरूप मौके पर पृथक पृथक कब्जा काश्त सुदा चली आ रही है, जो प्रार्थी द्वारा स्वयं मानता है। किन्तु रिकार्डली बाई मिटस् एण्ड बाउण्ड बंटवाडा अवश्य नही हुआ है। अप्रार्थीगण पूर्व मे हुए बंटवाडा अनुसार अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर एवं प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर पृथक–पृथक रूप से काश्त करते आ रहे है, जिसमे किसी का कोई दखल हस्तक्षेप नही है। एवं मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा अपने बंट की भूमि मे लाखों रूपये लगाकर इस समतल, उपजाउ बना कर विकसित किया है। अप्रार्थीगण किसी प्रकार से अपने खातेदारी हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा नही है एवं न ही किसी विशेष भू–भाग की

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:24 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर –5 पर लगातार......

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जमीन पर निर्माण कार्य करने या खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है एवं न ही प्रार्थी के खातेदारी हिस्से की भूमि मे उनके काश्त मे किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार कोई अवैध कृत्य न तो किया गया है न ही किया जाना है प्रार्थी उसके खातेदारी हिस्से की भूमि पर काश्त करता आ रहा है एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते आ रहे है, जिसमे किसी का कोई दखल नही है, जिससे एवं न ही प्रार्थी के किसी प्रकार से कोई अकथनीय क्षति होने का प्रश्न नही है एवं न ही प्रार्थी के किसी हक अधिकारों पर कुठाराघात होने का ही प्रश्न है। प्रार्थी द्वारा कत्तई गलत, मिथ्या एवं मनगढंत एवं निराधार तथ्य अंकित किये है, जो मानने योग्य नही है एवं वादी, अप्रार्थीगण सह खातेदार टिनेन्ट के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी को सफलता के कोई आधार एवं आसार नही है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिज के है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् इस पत्रावली एवम् मूल वाद पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला–प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस कथन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थी का सयुक्त खातेदारी में 1/2 हिस्सा विद्यमान है एवम् शेष 1/2 अप्रार्थीगण का है। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही होने के कारण अप्रार्थीगण उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है एवम् विशेष भू–भाग की जमीन पर निर्माण करने का आमादा है। वकील अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि पूर्व में हुए आपसी सहमति बंटवाडा के अनुसार अप्रार्थीगण 1/2 हिस्से पर काबिज है। तथा प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से की भूमि में पृथक रूप से काश्त करते आ रहे है। जिसमें किसी का कोई दखल हस्तक्षेप नही है।

न्यायालय की राय में प्रार्थी व अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार व सहखातेदार है। प्रत्येक सह खातेदार का खातेदारी के प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है एवं अधिकार निहित होता है। अतः सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

सुविधा सन्तुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा सन्तुलन पर विचार किया गया। प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। अतः प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर पूर्व रूप से काबिज होते है। अतः प्रार्थी को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो उसको होने वाली असुविधा उससे अधिक नहीं होगी जितनी

पेज नम्बर –6 पर लगातार......

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने पर अप्रार्थीगण को होगी अर्थात दोनों को ही समान असुविधा होगी अतः सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वाद मात्र बंटवाडा का है व सभी पक्षकार का हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में विद्यमान है। यदि विवादित आराजी के सबंध में प्रार्थी के पक्ष में एवम् अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को कोई ऐसी अपूरणीय क्षति नही होगी जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही की जा सके अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से न्यायालय की राय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:24 IST
Reason: SelfAttested